न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

-37 / 2024

1. मामूल खां पुत्र यारिन खां जाति तेली निवारी वार्ड न0 1 बिहारीपुरा तहसील भादरा।
2. इकबाल खां पुत्र यारिन खां जाति तेली निवारी वार्ड न0 1 बिहारीपुरा तहसील भादरा।
3. इसफाक खां पुत्र यारिन खां जाति तेली निवारी वार्ड न0 1 बिहारीपुरा तहसील भादरा।
4. रफीक मो0 पुत्र यासिन खां जाति तेली निवारी वार्ड न0 1 विहारीपुरा तहसील भादरा।
5. सकुराबानो पत्नी यारीन खां जाति तेली निवासी बिहारीपुरा भादरा त0 भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शोकिन पुत्र सरफुखां जाति तेली निवारी बिहारीपुरा तहसील भादरा।
2. सब रजिस्ट्रार भादरा त0 भादरा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

उपस्थिति :– श्री कपूरचंद शर्मा प्रार्थी
श्री दलीप झोरड अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीएचपी के खाता सं0 254 / 222 के मु0न0 92 के किला न0 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8, 13 ता 18 की कुल 3.036है0 नहरी कृषि भूमि मय रास्ता संयुक्त खाता की मुश्तर्का खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पक्षकारान के दादा भूरेखां पुत्र सलेमान की खातेदारी हुआ करती थी जिसके देहान्त के बाद उनके पुत्रों को प्राप्त हुई। उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता की होने के कारण पक्षकारान के मध्य आये दिन सीव, डोंल व माल लगान आदि को लेकिन तकाजा बना रहता है। अप्रार्थी सं0 1 अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर अमादा है। एवं अच्छी किस्म की भूमि पर ताकत के बल पर काबिज होने के लिए उतारू है। इसलिए प्रार्थी कानूनी अधिकारी है कि अप्रार्थी को बिना खाता विभाजन करवायें उक्त विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द नहीं करने हेतु पाबन्द किया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थीगण सं0 1 ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:14 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता की होने के कारण पक्षकारान के मध्य आये दिन सीव, डोंल व माल लगान आदि को लेकिन तकाजा बना रहता है। अप्रार्थी सं0 1 अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने पर अमादा है। इस हेतु अप्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमि को बैचान करने के लिए सौदा तय कर रखा है। एवं अच्छी किस्म की भूमि पर ताकत के बल पर काबिज होने के लिए उतारू है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में खाता विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद जैरकार है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जावें कि वे विवादित भूमि में रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त विवादित पक्षकारान ने बंटवारा कर रखा है एवं अपने हिस्सा अनुसार कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे। अप्रार्थी सं0 1 ने अपने हिस्सा की भूमि को बेचान करने के लिए किसी से भी कोई इकरारनामा सौदा तय नहीं कर रखा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अपने सहखातेदारों को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से अपने हिस्सा की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं कर सकता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी को सव्यय खारीज करने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात तथा कानूनी नजीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**—प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है चूंकि उपर्युक्त विवेचन एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वाद भूमि का खाता व लगान अलग से कायम नहीं है जिसके लिए न्यायालय हाजा में वाद जैरकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संयुक्त खाता की भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा माना जाता है। अप्रार्थीगण अपनी घरेलु जरूरतों के हिसाब से विवादित भूमि के उपयोग—उपभोग के लिए स्वंतत्र है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को यदि पाबन्द किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उक्त प्रार्थना पत्र में विरुद्ध प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2 **सुविधा का संतुलनः**— अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। चूंकि विवादित आराजी संयुक्त खाता की मुश्तर्का खातेदारी होने के कारण अप्रार्थी भी उक्त विवादित भूमि के सह स्वामी है। अप्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि को विक्रय करने अथवा उसके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता है। अतः सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**— उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों अप्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। चुंकि प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करवा लेने से अप्रार्थी के हक हिस्सो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग—उपभोग नहीं कर पाने से अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर पत्रावली के अवलोकन से अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण साबित नहीं होने कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:14 IST
Reason: SelfAttested